

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर-छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771-2537404, टेलीफैक्स 0771-2234731

ई-मेल : depit_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgeculture.in

क्रमांक १/८ /अनु. /स.पु. /2022

रायपुर, दिनांक १३/३/२०२२

मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु
मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (अंकों/शब्दों में)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र की राशि रु
1	2	3	4	5	6
01	उत्खनन स्थल तरीघाट (साईट संग्रहालय के सामने) जिला-दुर्ग में पाथवे निर्माण कार्य।	रु. 8,65,400/- (रु. आठ लाख पैंसठ हजार चार सौ)	08.03.2022	14.03.2022	750/-
02	उत्खनित स्थल एवं राज्य संरक्षित स्मारक प्राचीन ईंटों के टीले मंदिर गढ़धनोरा जिला-कोण्डागांव में पाथवे निर्माण एवं प्लीथ प्रोटेक्शन कार्य।	रु. 8,57,300/- (रु. आठ लाख सन्तावन हजार तीन सौ)			750/-

निविदा की सामान्य शर्तें विस्तृत निविदा विज्ञप्ति एवं निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।
(विभाग के वेबसाईट में प्रसारित करने हेतु)


 संचालक
 संस्कृति एवं पुरातत्व

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व

रायपुर-छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771-2537404, टेलीफैक्स 0771-2234731

ई-मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक. ८/२ /अनु. / स.पु. / 2022

रायपुर, दिनांक २१/१२/२०२२

मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना एवं शर्ते

निम्नलिखित कार्य के लिये छ.ग. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' पर मुहरबंद निविदायें PWD SOR एक जनवरी 2015 की दरों पर प्रतिशत आधार पर छ.ग. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से लिफाफा पद्धति के अनुरूप मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक (ए.डी.) तथा स्पीड पोस्ट सर्विस द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आमंत्रित की जाती है।

मुहरबंद निविदायें समिति के सदस्य एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ ठेकेदारी पंजीयन, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, वाणिज्यकर कार्यालय का पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र, बैंक साल्वेसी, इंजीनियर नियोजन पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां अनिवार्यतः प्रस्तुत करें एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावें अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र छायाप्रतियां अनिवार्यतः प्रस्तुत करें एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावें अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। आवश्यकता होने पर कार्य तथा निविदा सूचना के संबंध में आकस्मिक संशोधन इस कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदा प्रस्तुत एवं खोली जावेगी।

01. कोरी निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 08.03.2022 कार्यालयीन समय तक।
02. मुहर बंद निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14.03.2022 कार्यालयीन समय तक।
03. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 15.03.2022 दोपहर 12.00 बजे।


क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानिक राशि (अंकों/शब्दों में)	बयाने की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र की राशि रु.
1.	उत्खनन स्थल तरीघाट (साईट संग्रहालय के सामने) जिला-दुर्ग में पाथवे निर्माण कार्य।	रु. 8,65,400/- (रु. आठ लाख पैंसठ हजार चार सौ)	17,300/-	उपयुक्त श्रेणी	21 मार्च 2022 तक	750/-
2.	उत्खनित स्थल एवं राज्य संरक्षित स्मारक प्राचीन ईटों के टीले मंदिर गढ़नोरा जिला-कोणारकांव में पाथवे निर्माण एवं पर्यावरण कार्य।	रु. 8,57,300/- (रु. आठ लाख सन्तावन हजार तीन सौ)	17,200/-			750/-

निविदा की शर्तेः

1. बयाने की राशि एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट जो कि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर सिविल लाइन रायपुर छ.ग. के नाम से देय हो तथा कम से कम छ: माह की अवधि का हो जिसे निविदा के साथ अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। बयाने की राशि के अभाव में निविदा बिना खोले वापस कर दी जायेगी।
2. किसी भी निविदा को पूर्ण अर्थवा आशिक रूप से स्वीकृत/अर्खीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं ट्रुटियुक्त, ओवर राइटिंग, अपूर्ण हस्ताक्षरित तथा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. मुहरबंद निविदाओं के प्रत्येक लिफाफे पर कार्य का नाम अकित किया जाना आवश्यक है। निविदा दो अलग-अलग लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत किया जावेगा, प्रथम लिफाफा में बयाने की राशि तथा द्वितीय लिफाफा में वित्तीय प्रस्ताव। प्रथम लिफाफा में बयाने की राशि प्राप्त नहीं होने की दशा में वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोला जावेगा।
4. ऐसे ठेकेदार जो एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत है, उन्हे ही मान्य किया जावेगा। उक्त कार्य उत्खनित स्थल एवं संरक्षित स्मारक में किया जाना है अतः अनुरक्षण कार्य में अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।

5. विस्तृत निविदा विवरण की विशेष शर्तों की कंडिका क्र.-8(1) के अनुसार प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।
6. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी संधारित की जावेगी तथा प्रत्येक नियोजित श्रमिक को उसके बैंक एकाउन्ट में सीधे भुगतान करना अनिवार्य होगा।
7. ठेकेदार को नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी/मस्टररोल, वेतन भुगतान पंजी, नियोजन पंजी का संधारण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ-साथ अन्य लाभ जैसे-ओवर टाइम भत्ता, बोनस, ग्रेच्युटी, मातृत्व हितलाभ अवकाश, ई.एस.आई. भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी लाभ देना अनिवार्य है।
8. परिशिष्ट 2.10 के एनेक्सर जी (स्पेशल कंडीशन ऑफ एन.आई.टी.) की कंडिका 4 (1से 5) के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात 3 वर्ष तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगा।
9. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र या इसकी सत्यापित प्रतिलिपि जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाणित हो, जिसका मुख्य निविदा राशि का 15 प्रतिशत होना चाहिए जो आगेदन के दिनांक से 12 माह से अधिक समायावधि का ना हो प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।
10. अमानत राशि के साथ सत्यनिष्ठा संधि शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।
11. किसी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर रहेगा तथा विवाद की स्थिति में संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर का निर्णय दोनों पक्ष को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।
12. उपरोक्त सामान्य शर्त निविदा अनुबंध का भाग है।

(केश शाखा द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र अर्हता प्राप्त फर्म को मांगे जाने पर जारी करने हेतु)



संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व

॥ सांस्कृतिक विरासत एवं प्राचीन अवशेष राष्ट्र का गौरव है, जिसकी सुरक्षा करना हम सब का नैतिक दायित्व है। ॥